न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2018

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री इरफान पुत्र श्री बाबूखां जाति मुसलमान निवासी धिरोडदा पुलिस थाना जसवंतगढ जिला नागौर।
2. श्री दिनेश पुत्र श्री भागीरथ जाति विश्नोई निवासी काबडा पुलिस थाना ओसिया जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भगवतसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2018 को श्री सोमाराम हैड कानि. ने श्री विक्रमसिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही को सूचना दी कि हनुमान होटल नेशनल हाईवे नं. 62 के बाडे में बाहर खाली जगह पर एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य के पहुंचें। मौके पर एक टैंकर जिसमें 19980 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा दो प्लास्टिक के ड्रम जिसमें 230 लीटर डीजल एवं एक प्लास्टिक के जरीकन भूरे रंग का जिसमें 10 लीटर डीजल एवं दो प्लॉस्टिक के 20–20 लीटर के पीले रंग के जरीकन जिनमें 40 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 19980 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ तथा 280 लीटर डीजल ड्रमों एवं जरीकनों में डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त डीजल के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं [illegible] नहीं किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 26.11.2018 को श्री सोमाराम हैड कानि. पुलिस थाना पालडी एम ने श्री विक्रमसिंह वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि हनुमान होटल नेशनल हाईवे नम्बर 62 सरहद पालडी एम के बाहर खाली जगह पर एक टैंकर चालक अपने टैंकर की सील तोडकर डीजल की चोरी कर रहे है और होटल पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कार्यरत श्री दिनेश को को उक्त चोरी किया हुआ डीजल कम दामों पर बेचान कर रहे है। उक्त सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअधीक्षक सिरोही मय अन्य हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर आरजे 29 जीए 1642 खडा दिखाई दिया, जिसके चालक का नाम पूछने पर तो उसने अपना नाम श्री इरफान पुत्र श्री बाबूखां जाति मुसलमान निवासी धिरोडदा पुलिस थाना जसवंतगढ जिला नागौर होना बताया और उसके पास ही एक अन्य व्यक्ति टैंकर के पास खडा हुआ था जिसका नाम श्री दिनेश पुत्र श्री भागीरथ जाति विश्नोई निवासी काबडा पुलिस थाना ओसिया जिला जोधपुर होना बताया। उक्त टैंकर चालक श्री इरफान को पूछने पर बताया कि वह टैंकर में डीजल जामनगर से भरकर एसर डिपो पालडी एम लेकर जाना बताया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 20 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो दिनेश को बेचना था। मौके पर दो बडे ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के पाए गए, जिसमें कुल 230 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा एक प्लॉस्टिक का 50 लीटर क्षमता का भूरे रंग का जरीकन जिसमें 10 लीटर भरा हुआ था एवं दो प्लॉस्टिक के 20–20 लीटर क्षमता के पीले रंग के जरीकन डीजल से भरे हुए थे, जिनमें कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 20 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें कुल 19980 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री इरफान की पेन्ट से तोडी गई तीन सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को श्री दिनेश द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 19980 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 280 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लास्टिक जरीकनों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल एवं टैंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त डीजल नायरा एनर्जी लिमिटेड कम्पनी का था, जिसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष [illegible] 2018 को श्री सोमाराम हैड कानि. पुलिस थाना पालडी एम ने श्री वि[illegible]सिंह [illegible]अधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि हनुमान होटल [illegible] हाईवे नम्बर [illegible] पालडी एम के बाहर खाली जगह पर एक टैंकर चा[illegible] डीजल की चोरी कर रहे है और होटल पर कार्यरत [illegible] चोरी किया हुआ डीजल कम दामों पर बेचान कर रहे है। उक्त सूचना पर श्री विक्रमसिंह उपअधीक्षक सिरोही मय अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हैड कानि. के उपस्थित हुए। मौके पर पहुंचने पर एक टैंकर नम्बर आरजे 29 जीए 1642 खडा दिखाई दिया, जिसके चालक का नाम पूछने पर तो उसने अपना नाम श्री इरफान पुत्र श्री बाबूखां जाति मुसलमान निवासी धिरोडदा पुलिस थाना जसवंतगढ जिला नागौर होना बताया और उसके पास ही एक अन्य व्यक्ति टैंकर के पास खडा हुआ था जिसका नाम श्री दिनेश पुत्र श्री भागीरथ जाति विश्नोई निवासी काबडा पुलिस थाना ओसिया जिला जोधपुर होना बताया। उक्त टैंकर चालक श्री इरफान को पूछने पर बताया कि वह टैंकर में डीजल जामनगर से भरकर एसर डिपो पालडी एम लेकर जाना बताया। मौके पर टैंकर को चैक किया गया तो उक्त टैंकर की सील टूटी हुई थी तथा इस टैंकर में से 20 लीटर डीजल चोरी किया गया था, जो दिनेश को बेचना था। मौके पर दो बडे ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के पाए गए, जिसमें कुल 230 लीटर डीजल भरा हुआ था तथा एक प्लॉस्टिक का 50 लीटर क्षमता का भूरे रंग का जरीकन जिसमें 10 लीटर भरा हुआ था एवं दो प्लॉस्टिक के 20–20 लीटर क्षमता के पीले रंग के जरीकन डीजल से भरे हुए थे, जिनमें कुल 40 लीटर डीजल भरा हुआ था। टैंकर का नाप करने पर टैंकर 20 हजार लीटर क्षमता का था, जिसमें कुल 19980 लीटर डीजल भरा हुआ था। मौके पर श्री इरफान की पेन्ट से तोडी गई तीन सीलें जब्त की गई। उक्त व्यक्तियों से पूछने पर बताया कि उक्त डीजल को श्री दिनेश द्वारा खरीदा जाता है एवं बाद में उच्च दामों में अन्य लोगों को बेचान किया जाता है। अतः इस प्रकार कुल 19980 लीटर डीजल टैंकर में तथा कुल 280 लीटर डीजल, जो ड्रमों तथा प्लास्टिक जरीकनों में भरा था, का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल एवं टैंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किमाव नली को कब्जे सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया 19980 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर आरजे 29 जीए 1642 में भरा हुआ था, नायरा एनर्जी लिमिटेड का था, जिसके बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः टैंकर में भरे हुए कुल 19980 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाए जाना न्याय संगत होगा। यह है कि मौके पर ड्रमों एवं प्लास्टिक जरीकनों भरा हुआ कुल 280 लीटर डीजल, जिसके अप्रार्थी के पास कोई बिल या अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं होने से उक्त डीजल चोरी का होना प्रतीत होता है एवं इसके संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी किसी भी प्रकार का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ड्रमों एवं प्लास्टिक जरीकनों भरे हुए कुल 280 लीटर डीजल एवं टैंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली को राज्यसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः टैंकर नम्बर आरजे 29 जीए 1642 में भरा हुआ कुल 19980 लीटर डीजल को उसके मालिक को दिए जाने का आदेश दिया जाता है एवं मौके पर ड्रमों एवं प्लास्टिक जरीकनों भरा हुआ कुल 280 लीटर डीजल चोरी का प्रतीत होने से एवं बिना लाइसेंस के अवैध [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अप[illegible] धारा 6 ए. के तहत प्रार्थी का [illegible] को समयपहरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार कि[illegible]कर कब्जे स[illegible] (Confiscate) करने के आ[illegible]ते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 280 डीजल एवं टैंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner